2025/468

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

बजरंगपुरी ........ बनाम ........ तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 131,136 LR ........ मु.नं. 214 वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा – पत्र |
| --- | --- |
| 15.07.25 | प्रार्थीगण बजरंगपुरी, गुमानपुरी, जगदीशपुरी, मूलापुरी, हरिपुरी पुत्रगण प्रतापपुरी, अनिलपुरी, विनोदपुरी पुत्रगण मदनपुरी, शिवदयालपुरी पुत्र रामपुरी, सुनिता पुत्री रिछपालपुरी समस्त जाति गुसाई निवासीगण ग्राम माजीपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम संशोधन करने बाबत के अनुसार "ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 615/68, 616/68, 621/66, 622/66 के बीच में से आर–पार समर्पण करवाते समय पटवारी द्वारा भूलवश रास्ता नहीं काटकर खेत के दो टुकड़े कर दिये गये, जिससे प्रार्थी द्वारा समर्पित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर, प्रार्थी के खेत सं. 1 (खसरा सं. 615/68 व 621/66) में दर्ज हो गया। अतः निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरों को दुरूस्त किया जावें और रास्ते के नवीन खसरा नम्बरों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।" |
| | उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/3052 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। (580 15/7/25) |
| | अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांक भू.अ./24/3052 दिनांक 29.11.2024 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित खसरा सं. 615/68, 616/68, 621/66, 622/66 के संबंध तरमीम दुरूस्ती तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न भू.अ.नि. रिपोर्ट दिनांकित 11.11.2024 में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दुरूस्त किया जावें। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये प्रार्थीपक्ष/खातेदारान के खसरानों के अलावा अन्य खसरानों के रकबे व स्थिति में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/3052 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय सं[illegible] आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया [illegible] फैसल पालनार्थ तहसीलदार, धोद को [illegible] हों। शुमार होकर बाद तकमील [illegible] |
| | उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर<br>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:07:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner